



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1939/2026

नूरममोहमद @ नूर मोहम्मद

... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : जवाद तारिक, राज कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

दिनांक 12.5.2026 को सुरक्षित

दिनांक 25.6.2026 को पारित

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. अपीलकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जवाद तारिक; श्री श्याम नारायण राय, राज्य की ओर से विद्वान एजीए और उन्होंने विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह आपराधिक अपील, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 415(2) के अन्तर्गत अभियुक्त-अपीलार्थी नूरमोहम्मद @ नूर मोहम्मद द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो न्यायालय संख्या-3, अलीगढ़ द्वारा आपराधिक सत्र वाद संख्या 90077 सन् 2018 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नूरमोहम्मद @ नूर मोहम्मद), जो मुकदमा अपराध संख्या 168 सन् 2018, धारा 354क, 354ख, 342 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना- गोंडा, जनपद- अलीगढ़ से उद्भूत है, में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.2025 को अपास्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 354ख भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पाँच वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है; तथा धारा 342 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत छह माह के कठोर कारावास तथा ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया



गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। सभी सजाओं को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3. इस प्रकरण में, प्रथम सूचनाकर्ता पीडब्लू-1, साहब सिंह @ बच्चू सिंह है, जो पीड़ितों के दादा हैं। उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क1) प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि 16.5.2018 को उनकी पोती, पीड़िता X अपने चचेरे भाई, पीड़िता Y के साथ, टॉफी आदि खरीदने के लिए नूर मुहम्मद की दुकान पर गई थी। दोनों लड़कियों की उम्र लगभग 7 साल और 8 साल है। शाम 5.30 बजे जब दोनों बच्चे दुकान पर पहुंचे तो नूर मुहम्मद ने दोनों बच्चों को दुकान में बंद कर अश्लील हरकतें करने लगे और दोनों लड़कियां चीखने लगीं और रोते-रोते घर आ गईं। जब कई लोग नूर मुहम्मद की दुकान पर पहुंचे तो वह दुकान छोड़कर भाग गया। इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना गोंडा, जिला अलीगढ़ में धारा 354 केए, 342 भा0द0सं0 और पाँक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 168/2018 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

4. विवेचना प्रारम्भ हुई तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। विवेचना के उपरान्त धारा 354क, 354ख, 342 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 7/8 पाँक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। मजिस्ट्रेट ने प्रकरण का संज्ञान लिया तथा उसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया, जहाँ वह आपराधिक सत्र वाद संख्या 90077 सन् 2018 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नूरमोहम्मद @ नूर मोहम्मद), जो मुकदमा अपराध संख्या 168 सन् 2018, धारा 354क, 354ख, 342 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 7/8 पाँक्सो अधिनियम, थाना- गोंडा, जनपद- अलीगढ़ से उद्भूत है, के रूप में पंजीकृत हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। उसने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अपने प्रकरण को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए: -

1. लिखित रिपोर्ट दिनांक 16.5.2018 (प्रदर्श क1)

2. द0प्र0सं0 की धारा 164 दिनांक 19.5.2018 के तहत कथन (प्रदर्श क2)

3. द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत दिनांक 19.5.2018 का कथन (प्रदर्श क3)

4. नक्शा नजरी दिनांक 17.5.2018 (प्रदर्श क4)

5. गिरफ्तारी मेमो (प्रदर्श क5)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट दिनांक 30.5.2018 (प्रदर्श क6)

7. डुप्लिकेट एफआईआर (प्रदर्श क7)

8. एफआईआर दिनांकित 16.05.2018 (प्रदर्श क8)

6. दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। गवाहों से अभियोजन पक्ष के प्रकरण के समर्थन में साहब सिंह @ बच्चू सिंह (पीडब्लू -1), दीक्षा (पीडब्लू -2), हर्षिता (पीडब्लू -3), कुमकुम (पीडब्ल्यू -4), देवेंद्र कुमार यादव (पीडब्लू -5), आनंद कुमार (पीडब्ल्यू -6), श्रीमती सुलेखा रानी (पीडब्ल्यू -7) से पूछताछ की गई।

7. आरोपी ने प्रेमपाल और राज कुमार को डीडब्ल्यू-1 और डीडब्ल्यू-2 के रूप में पेश किया है।

8. आरोपी अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि आरोपी अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में है, लेकिन वह एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक है और सूचनाकर्ता और आरोपी अपीलकर्ता के बीच गुप्त उद्देश्य और पिछले विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में भौतिक विरोधाभास हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण के गुण-दोष में जाने के बिना, केवल सजा के बिंदु पर तर्क दिया। निवेदन यह है कि अपीलकर्ता विभिन्न वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित है और यदि यह न्यायालय अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो यह प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता को उसकी अग्रिम आयु को देखते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जाए।

9. विद्वान एजीए ने तर्क का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि हालांकि आरोपी अपीलकर्ता एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी आयु 80 वर्ष है, लेकिन उसने नाबालिग पीड़ितों के साथ एक बहुत ही जघन्य अपराध किया है, जिसकी आयु केवल 8 वर्ष है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचारण न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ता को सही तरीके से दोषी ठहराया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान प्रकरण में अधिकतम पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।



10. इस प्रकरण में, आरोपी अपीलकर्ता को भा0द0सं0 की धारा 354 बी, 342 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे दी गई अधिकतम सजा जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास है।

11. पीड़ितों के दादा द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी अपीलकर्ता ने अपनी नाबालिग पोतियों एक्स और वाई के साथ अश्लील व्यवहार किया है, जिनकी उम्र क्रमशः सात साल और आठ साल है। एफआईआर तुरंत दर्ज की गई और एफआईआर में नाबालिग पीड़ितों के साथ शील भंग करने/यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। विवेचना के दौरान दो पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता एक्स ने द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा कि वह अन्य पीड़िता वाई के साथ ट्यूशन के लिए जा रही थी और वे नूरी की दुकान पर गए, जो उन्हें दुकान के अंदर ले गई और चुंबन लिया और पीड़िता के अंडरगारमेंट्स के अंदर अपना हाथ डाल दिया और उन्हें किसी को भी खुलासा न करने के लिए धमकाया। चिकित्सा साक्ष्य में, पीड़ितों पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं देखी गई। अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त ने इस प्रकरण में कोई चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगभग आठ वर्ष की आयु के नाबालिग पीड़ितों के निजी अंगों को चूमना और छूना है। एफआईआर पीड़ितों के दादा द्वारा दर्ज की गई थी, जो पीडब्लू -1 के रूप में विवेचना कर रहे हैं। हालांकि पीडब्लू-1 ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि दोनों नाबालिग लड़कियां रोते हुए आ रही थीं और खुलासा किया कि आरोपी ने उनके साथ अश्लील व्यवहार किया है। अभिनिर्धारित किया जाता है कि सूचनाकर्ता पीडब्लू-1 इस प्रकरण का चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन अपनी जिरह में उसने कहा कि उसने एफआईआर दर्ज की क्योंकि कुछ लोग उसे सलाह देते हैं और उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और एफआईआर की सामग्री उसे नहीं पढ़ी गई थी और उसे मुकर घोषित कर दिया गया था, लेकिन जिरह में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके और आरोपी के बीच समझौता किया गया था और आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि यही कारण है कि पीडब्लू-1 अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहता है।

12. पीडब्लू-2 पहली पीड़िता है, जिसका नाम एक्स, जिसकी आयु लगभग बारह वर्ष है और उसने द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान के समान ही कथन बताया कि आरोपी अपीलकर्ता ने उसके निजी हिस्से को चूमा है और उसे निर्वस्त्र कर दिया है। बेशक,



बचाव पक्ष ने इस गवाह से जिरह नहीं की है जो दर्शाता है कि पीड़िता एक्स द्वारा दिया गया बयान अखंडित है। इस प्रकार, पीड़िता X के बयान के आधार पर आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप विश्वसनीय प्रतीत होता है।

13. पीड़िता वाई, जिसे तेरह वर्ष की बताई जा रही है, ने वही कहा है कि वह और पीड़िता एक्स आरोपी अपीलकर्ता की दुकान पर गए थे, जहां आरोपी ने उन्हें उनके निजी अंगों पर चूमा था और दोनों पीड़ितों ने अपनी बहन कुमकुम को आरोपी अपीलकर्ता की भूमिका और उसके अश्लील व्यवहार के बारे में शामिल होने के बारे में घटना के बारे में बताया। जिरह में पीड़िता एक्स द्वारा आरोपी अपीलकर्ता द्वारा अश्लील व्यवहार या यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई प्रतिकूल बयान नहीं दिया गया है और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज अपने बयान में भी यही कहा है। माना जाता है कि इस प्रकरण में, पीड़िता X और Y की आयु बारह वर्ष से कम थी, इसलिए, संबंधित मजिस्ट्रेट के लिए उचित प्रश्न को समझने और उचित उत्तर देने के संबंध में पीड़ितों की मानसिक क्षमता की जांच करना आवश्यक था, लेकिन संबंधित मजिस्ट्रेट ने उनकी मानसिक क्षमता के संबंध में गवाहों की उचित जांच किए बिना धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं, जो संबंधित मजिस्ट्रेट की ओर से चूक है। हालांकि विचारण न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज करने के समय पीड़ितों की उम्र लगभग 12-13 वर्ष थी, फिर भी गवाह के सामने उनकी मानसिक क्षमता की गवाही देने के लिए कुछ सामान्य प्रश्न रखे जाने चाहिए, लेकिन मुकदमे के समय भी संबंधित न्यायिक अधिकारी ने अपनी ओर से चूक की है।

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने देबराज दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या .../2026, अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका अपराध संख्या 16383/2025), प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2023 एससी 3245, एजाज अहमद शेख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, निर्णीत दिनांक 22.4.2025 (आपराधिक अपील संख्या 2142/2017 और 2143-2144/2017), लालडिंगलुइया बनाम मिजोरम राज्य और अन्य, निर्णीत दिनांक 20.11.2024 सीआरएलए(जे)/2/2024 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

15. औपचारिक गवाह पीडब्लू-5,6,7 ने औपचारिक अभियोजन कागजात जन्म प्रमाण पत्र, साइट प्लान, चिक एफआईआर आदि को साबित कर दिया है। इस न्यायालय को औपचारिक गवाहों के बयान में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं मिला।



16. आरोपी अपीलकर्ता को भा0द0सं0 की धारा 354 ख, 342 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। बेशक, इस प्रकरण में, द0प्र0सं0 की धारा 313 के तहत 30.6.2025 को दर्ज बयान में उल्लिखित आरोपी अपीलकर्ता की उम्र के साथ-साथ हिरासत प्रमाण पत्र 80 वर्ष है, जो इंगित करता है कि वर्तमान में आरोपी की आयु 80-81 वर्ष है और उसे एक सेवानिवृत्त शिक्षक बताया गया है। आरोपी अपीलकर्ता पहला अपराधी है और विद्वान एजीए द्वारा अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना वर्ष 2018 की है और इस प्रकरण में अपीलकर्ता को दी गई अधिकतम सजा केवल पांच साल है।

17. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 और 5 तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

“4. कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने की न्यायालय की शक्ति- (1) जब किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, फिर, किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, न्यायालय उसे तुरंत किसी भी सजा के लिए सजा सुनाने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे जमानत के साथ या बिना जमानत के एक बांड में प्रवेश करने पर रिहा कर दिया जाए, ऐसी अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए, तीन साल से अधिक नहीं, जैसा कि न्यायालय निर्देश दे सकती है, और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए:

बशर्ते कि न्यायालय किसी अपराधी की ऐसी रिहाई का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसके जमानतदार, यदि कोई हो, के पास उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिस पर न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश देने से पहले, न्यायालय प्रकरण के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।



(3) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाता है, तो न्यायालय यदि यह राय रखता है कि अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो इसके अतिरिक्त, एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकता है जिसमें यह निदेश दिया गया हो कि अपराधी ऐसी अवधि के दौरान आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रहेगा, एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, और इस तरह के पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह अपराधी के उचित पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझती हैं।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाले न्यायालय से यह अपेक्षा की जाएगी कि अपराधी को रिहा किए जाने से पहले, जमानत के साथ या उसके बिना, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों और निवास, नशीले पदार्थों से परहेज या किसी अन्य प्रकरण के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा, जो न्यायालय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी द्वारा एक ही अपराध की पुनरावृत्ति या अन्य अपराधों के कमीशन को रोकने के लिए लगाया जाना उचित है।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को आदेश के निबंधन एवं शर्तों की व्याख्या करेगा और प्रत्येक अपराधी, जमानतदारों, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

5. रिहा किए गए अपराधियों को मुआवजे और लागतों का भुगतान करने की आवश्यकता करने के लिए न्यायालय की शक्ति- (1) धारा 3 या धारा 4 के तहत किसी अपराधी की रिहाई का निर्देश देने वाली न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो उसी समय उसे भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक और आदेश दे सकती है

(ए) ऐसा मुआवजा जो न्यायालय अपराध के कमीशन द्वारा किसी व्यक्ति को होने वाले नुकसान या चोट के लिए उचित समझता है; तथा

(बी) कार्यवाही की ऐसी लागत जो न्यायालय उचित समझती है।

(2) उपधारा (1) के तहत भुगतान की जाने वाली राशि संहिता की धारा 386 और 387 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकती है।



(3) किसी भी वाद की सुनवाई करने वाला सिविल न्यायालय, उसी प्रकरण से उत्पन्न होता है जिसके लिए अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, उपधारा (1) के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को नुकसान पहुंचाने में ध्यान में रखेगा।

18. सीताराम पासवान और अन्य बनाम बिहार राज्य, (2005) 13 एससीसी 110 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

“विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को प्रकरण की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र पर विचार करना होगा। अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की गंभीरता के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अपराध का पीड़िता पर पड़ने वाला प्रभाव। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत अभियुक्त को उपलब्ध लाभ प्रावधानों में सन्निहित सीमा के अधीन है और “हो सकता है” शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विवेक न्यायालय के पास निहित है कि अपराधी को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिहा किया जाए या नहीं, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र और प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत शक्तियां न्यायालय के पास तब निहित होती हैं जब कोई व्यक्ति किए गए अपराध का दोषी पाया जाता है, जिसे मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं किया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालयों द्वारा व्यक्ति को दोषी ठहराते समय किया जा सकता है और यदि न्यायालय को लगता है कि प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, अभियुक्त को लाभ दिया जाना चाहिए, तो न्यायालय द्वारा अपील या पुनरीक्षण चरण में भी और इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई करते समय भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

19. लखनलाल उर्फ लाखन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 6 एससीसी 100 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी: -

“10. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने रत्न लाल बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1965 एससी 444 में, 1958 के अधिनियम के उपबंधों का परीक्षण करते हुए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ अपराधी 21 वर्ष से कम आयु के हों, वहाँ न्यायालय को उन्हें कारावास का दण्ड न देने का निषेधादेश है, जब तक कि वह मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उनके साथ 1958 के अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं है; किन्तु जहाँ अपराधी 21 वर्ष से अधिक आयु के हों, वहाँ न्यायालय को ऐसे अपराधियों को या तो ताड़ना (admonition) के उपरान्त अथवा सदाचार परीक्षा (probation of good conduct) पर मुक्त करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया:-

"4. यह अधिनियम दंड विज्ञान के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदारवादी प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत अपराधी को दंडित करने की तुलना में उसे सुधारना अधिक है। मोटे तौर पर कहा गया है कि यह अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों और उस उम्र से अधिक उम्र के अपराधियों और उन अपराधियों को अलग करता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी हैं और जो कम अपराध के दोषी हैं। जबकि 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों के प्रकरण में, अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अधीन, न्यायालय को चेतावनी के बाद या अच्छे आचरण की परीक्षा पर उन्हें रिहा करने का पूर्ण विवेकाधिकार दिया जाता है, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के प्रकरण में न्यायालय को निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उन्हें कारावास की सजा न दी जाए जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि, प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्र शामिल है, अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत उनसे निपटना वांछनीय नहीं है।

11. इस न्यायालय ने जुगल किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1972) 2 एससीसी 633 ने युवा अपराधियों को जेल में कारावास की सजा सुनाए जाने की स्थिति में परिपक्व उम्र के खूंखार अपराधियों के साथ उनके संबंध के परिणामस्वरूप युवा अपराधियों को हठी अपराधियों में बदलने से रोकने के प्रावधान के औचित्य को समझाया। न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:



"6. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 में कुछ श्रेणियों के अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी के बाद और उससे जुड़े प्रकरण के लिए रिहाई प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य युवा अपराधियों को जेल में कारावास की सजा सुनाए जाने की स्थिति में परिपक्व उम्र के खूंखार अपराधियों के साथ उनके संबंध के परिणामस्वरूप युवा अपराधियों को हठी अपराधियों में बदलने से रोकना है। उपरोक्त उद्देश्य दंड विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसके अनुसार व्यक्तिगत अपराधियों के सुधार और सुधार के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और प्रतिशोधात्मक न्याय का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र यह मानता है कि कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं है और कई अपराध सामाजिक-आर्थिक परिवेश के उत्पाद हैं। हालांकि खूंखार अपराधियों के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत गंभीर अपराधों के दोषी नहीं युवा अपराधियों के सुधार लाने और खूंखार अपराधियों के साथ उनके संबंध को रोकने पर काफी जोर दिया गया है। यह अधिनियम उपरोक्त उद्देश्य को वैधानिक मान्यता देता है। इसलिए, यह प्रावधान किया गया है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, युवा अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि, इससे पहले कि अधिनियम का लाभ उठाया जा सके, यह दिखाया जाना चाहिए कि दोषी व्यक्ति भले ही 21 वर्ष से कम आयु का हो, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी नहीं है। यह अधिनियम की धारा 6 की भाषा से स्पष्ट है।"

20. मो. हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2017) 2 एससीसी 198, शीर्ष ने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग को निम्नानुसार दोहराया: -

"21. इस संबंध में, यह अन्य अधिकारियों को भी संदर्भित करना प्रतीत होता है कि पीओ अधिनियम के तहत न्यायालय में निहित विवेक का प्रयोग कैसे किया जाना है। राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1972) 4 एससीसी 46, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के संदर्भ में पीओ अधिनियम की धारा 4 से निपटते हुए, न्यायालय ने कहा कि पीओ अधिनियम की धारा 4 में प्रयुक्त "हो सकता है" शब्द का अर्थ "जरूरी" नहीं



है। इसके विपरीत, जैसा कि उक्त प्राधिकरण में माना गया है, यह स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि पीओ अधिनियम के प्रावधान 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों और उस उम्र से अधिक उम्र के अपराधियों और उन अपराधियों को अलग करते हैं जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी हैं और जो कम अपराध के दोषी हैं। इसके बाद, न्यायालय ने यह देखने के लिए आगे बढ़ाया है:

"7.... जबकि उन अपराधियों के प्रकरण में जो 21 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के प्रकरण में न्यायालय को चेतावनी के बाद या अच्छे आचरण की परीक्षा पर उन्हें रिहा करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार दिया जाता है, न्यायालय को एक निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उन्हें कारावास की सजा न दी जाए जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्र शामिल है, अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत उनसे निपटना वांछनीय नहीं है। (रतन लाल बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1965 एससी 444 और रामजी मिसर बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1963 एससी 1088।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए, उक्त प्रकरण में, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत अपराध को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पीओ अधिनियम की धारा 4 के तहत लाभ प्रदान करने से इनकार कर दिया।

22. हमने इस बात पर जोर देने के लिए उपरोक्त प्राधिकरण का उल्लेख किया है कि पीओ अधिनियम की धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले न्यायालय को अपराध की प्रकृति और पीओ अधिनियम की धारा 4 के तहत शामिल शर्तों को ध्यान में रखना होगा। दलबीर सिंह बनाम दलबीर सिंह में कहा गया है। हरियाणा राज्य, (2000) 5 एससीसी 82 में यह माना गया है कि संसद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल तभी जब न्यायालय यह राय बनाता है कि प्रकरण की परिस्थितियों के संबंध में अच्छे आचरण के लिए दोषी को परीक्षा पर रिहा करना समीचीन है और उन परिस्थितियों में से एक जिसे उक्त राय बनाने में दरकिनार नहीं किया जा सकता है, वह है "अपराध की प्रकृति"। न्यायालय ने आगे कहा है कि यद्यपि न्यायालय को यह तय करने का विवेक न्यायालय में निहित किया गया है कि न्यायालय को ऐसी राय कब और कैसे बनानी चाहिए, फिर



भी यह प्रावधान स्वयं पर्याप्त संकेत प्रदान करता है कि दोषी व्यक्ति को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना न्यायालय के समक्ष समीचीन प्रतीत होना चाहिए। "समीचीन" शब्द की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

9. "समीचीन" शब्द को संसद द्वारा इस खंड में सोच-समझकर नियोजित किया गया था ताकि इसका अर्थ "उपयुक्त और अंत तक उपयुक्त" हो। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "समीचीन" शब्द को "एक निर्दिष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए उपयुक्त और उपयुक्त" के रूप में परिभाषित किया गया है, इसके अलावा पहले संदर्भित अन्य अर्थ भी हैं। गुजरात राज्य बनाम जमनादास जी. पाब्रिल, (1975) 1 एससीसी 138 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने "समीचीन" शब्द पर विचार किया है। विद्वान न्यायाधीशों ने पैरा 21 में इस प्रकार देखा है:

21. पुन, इस उपबंध में प्रयुक्त समीचीन शब्द के कई प्रकार के अर्थ हैं। एक शब्दकोश अर्थ में, "समीचीन" (वि.) का अर्थ है "उपयुक्त और अंत तक उपयुक्त", "व्यावहारिक और कुशल": "राजनीतिक"; "लाभदायक"; "सलाह", "प्रकरण की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त, उचित और उपयुक्त"। एक अन्य छाया में, इसका अर्थ है एक उपकरण "सिद्धांत के बजाय केवल उपयोगिता की विशेषता, जो सार्वभौमिक रूप से सही होने के बजाय विशेष लाभ के लिए अनुकूल है" (वेबस्टर का नया अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश देखें)।

10. तब यह माना गया था कि न्यायालय को उक्त शब्द को प्रावधान के संदर्भ और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने व्यापक आयाम में लागू करना चाहिए। यहां पीओ अधिनियम की धारा 4 में "समीचीन" शब्द का उपयोग न्यायालय पर "अपराध की प्रकृति सहित प्रकरण की परिस्थितियों सहित" को ध्यान में रखने के लिए एक कर्तव्य के संदर्भ में किया गया है। इसका मतलब यह है कि धारा 4 का सहारा तब लिया जा सकता है जब न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों, विशेष रूप से अपराध की प्रकृति पर विचार करती है, और न्यायालय अपनी राय बनाती है कि यह एक निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त और उपयुक्त है कि अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है।"

21. चेल्लम्मल और अन्य बनाम राज्य जरिए पुलिस निरीक्षक, 2025 लाइवलो (एससी) 461 में, जहां सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्तागण (सास और पति) को भा0द0सं0 की धारा 304-बी के तहत

आरोप से बरी कर दिया है, लेकिन उन्हें धारा 498-ए के तहत दोषी ठहराया है, शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

“विधिक स्थिति को सारांशित करते हुए, यह कहा जा सकता है कि जबकि एक अपराधी अधिकार के प्रकरण के रूप में परिवीक्षा प्रदान करने के लिए आदेश की मांग नहीं कर सकता है, लेकिन उस उद्देश्य पर ध्यान देने के बाद जो वैधानिक प्रावधान परिवीक्षा प्रदान करके प्राप्त करना चाहते हैं और परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 की प्रयोज्यता के बिंदु पर इस न्यायालय के कई निर्णय, हम मानते हैं कि, जब तक प्रयोज्यता को बाहर नहीं रखा जाता है, ऐसे प्रकरण में जहां परिवीक्षा अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में बताई गई परिस्थितियां आकर्षित होती हैं, न्यायालय के पास परिवीक्षा पर अपराधी की रिहाई पर विचार करने का कोई विवेक नहीं है; इसके विपरीत, न्यायालय पर एक अनिवार्य कर्तव्य डाला जाता है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उसके सामने का प्रकरण बताई गई परिस्थितियों को पूरा करने पर अपराधी को रिहा करने की गारंटी देता है। परिवीक्षा प्रदान करने का प्रश्न किसी भी तरह से तय किया जा सकता है। घटना में, न्यायालय अपने विवेक से परिवीक्षा के लाभ का विस्तार करने का निर्णय लेती है, यह परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने पर ऐसी शर्तों को लागू कर सकती है जो उचित और उचित समझी जाती हैं। हालाँकि, यदि उत्तर नकारात्मक है, तो न्यायालय के लिए कारणों को दर्ज करना केवल उचित और उचित होगा।”

22. वर्तमान में, आरोपी-अपीलकर्ता एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। इस न्यायालय में यह इंगित करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं लाई गई है कि वह एक आदतन अपराधी है या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है। इस अपील के लंबित रहने के दौरान स्वतंत्रता के दुरुपयोग को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने गुण-दोष के आधार पर दोषसिद्धि पर हमला नहीं किया है, बल्कि अपने तर्क को विशेष रूप से सजा के सवाल तक सीमित रखा है और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान किए गए परिवीक्षा के लाभ को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की है।

23. पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ता की अत्यधिक वृद्धावस्था, अपीलकर्ता द्वारा कैद की अवधि पांच महीने से अधिक



है, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि परिवीक्षा का लाभ अभियुक्त-अपीलकर्ता को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत विस्तारित किया जाना चाहिए, 1958.

24. इस प्रकार, उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त-अपीलकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा करना न्यायसंगत और उचित होगा। इस प्रकार, अपील को आंशिक रूप से सजा में संशोधन के साथ अनुमति दी जाती है। भा0द0सं0 की धारा 354 ख, 342 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। हालांकि, पांच साल के सश्रम कारावास की सजा को रद्द कर दिया जाता है।

25. सजा में संशोधन और परिवीक्षा पर अपीलकर्तागण की रिहाई को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे/अपील के दौरान पूर्व में प्रस्तुत जमानत बंधपत्र और जमानत उन्मोचित किया जाएगा।

26. अभियुक्त-अपीलार्थी नूरमोहम्मद @ नूर मोहम्मद को परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिवीक्षा पर मुक्त किया जाए:-

(i) अभियुक्त-अपीलार्थी ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का एक नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय के वचनपत्र सहित निष्पादित करेगा कि वह शांति एवं सदाचार बनाए रखेगा तथा किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(ii) परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5 का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी को धारा 354ख एवं 342 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का प्रतिकर अदा करने का निर्देश दिया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रतिकर राशि आज से एक माह की अवधि के भीतर दोनों पीड़िताओं में समान रूप से वितरित की जाएगी। यदि पीड़िताओं की मृत्यु हो चुकी हो, तो अपीलार्थी उक्त राशि उनके विधिक प्रतिनिधियों को अदा करेगा।

(iii) अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त मुआवजे की राशि जमा करेगा और विचारण न्यायालय, नोटिस और सत्यापन के बाद, बैंक खातों के माध्यम से पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच उपरोक्त राशि वितरित करेगा।

(iv) उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अभियुक्त-अपीलकर्ता मूल सजा काटने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा से गुजरने के लिए उत्तरदायी होगा।



27. विचारण न्यायालय अनुपालन सुनिश्चित करेगा और पर्यवेक्षण के लिए परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा।

28. अपीलकर्ता को आवश्यक बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए तुरंत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। चूक की स्थिति में, विचारण न्यायालय विधि अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें विरुद्ध प्रोसेस जारी करना भी शामिल है।

29. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत प्रेषित की जाए।

30. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने के भीतर इस न्यायालय को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके अलावा, रजिस्ट्री को अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने का भी निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

25 जून 2026

आरए